नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, गौतमबुद्व नगर

पत्र स0/नौएडा/वास्तुविद् नि0/2008/5
दिनांक 29/8/8

मै0 यूनिटेक अकासिया प्रोजेक्टस प्रा0 लि0 (स्पेशल परपज कम्पनी)
Consisting of मै0 यूनिटेक हाईटेक डवलपर्स लि0 व
मै0 सी0आई0जी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 कनसोरटियम
6, कम्यूनिटि सैंटर साकेत
नई दिल्ली -110017

विषय - सैक्टर 96,97 व 98 के भू-उपयोग मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

कृपया अपने पत्र दिनांक 13.8.08 एवं 22.8.08 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने सैक्टर 96,97 व 98 नौएडा मे एक्सप्रेस सिटी की स्थापना हेतु भू-विन्यास मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । आप द्वारा प्रस्तुत भू-विन्यास मानचित्र निम्न शर्तो व प्रतिबन्धों के साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा स्वीकृत किया गया हैः-

1. सहायक महाप्रबन्धक (जी0एच0पी0) के पत्र दिनांक 3.07.08 मे निर्देशित औपचारिकताओ को आवंटी द्वारा पूर्ण करना होगा तथा प्राधिकरण एवं भवन प्रकोष्ट को सूचित करना होगा ।
2. आवश्यक अनापत्ति सम्बन्धित विभागो (एयरपोर्ट अथोरिटी ऑफ इण्डिया, अग्निशमन, पर्यावरण विभाग आदि) से प्राप्त कर भू-विन्यास मानचित्र की स्वीकृती से 3 माह की अवधी में प्राधिकरण मे प्रस्तुत करना अनिवार्य है । शर्त को पूर्ण न करने की स्थिति मे स्वीकृती स्वतः निरस्त मानी जायेगी ।
3. इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विसेस से संबंधित जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत आपूर्ति, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के मानचित्रों की जॉच संबंधित विभागों से करवाकर नियोजन विभाग में प्रस्तुत करेगें।
4. भू-विन्यास मानचित्र मे निर्धारित गतिविधियों के अनुरूप भवन के विस्तृत मानचित्र प्रस्तुत किये जायेगे ।
5. विस्तृत भवन की स्वीकृती हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले मानचित्र के साथ आवश्यक अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा ।
6. यदि आप द्वारा प्रस्तुत भू-विन्यास मानचित्र मे किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा संशोधन होता है, तो उसकी पूर्व सूचना व अनुमति प्राधिकरण से प्राप्त करनी होगी तथा प्रश्नगत प्रोजेक्ट को पट्टा प्रलेख मे निर्धारित समयावधि मे पूर्ण करना होगा ।

29/8/8
(राजपाल कौशिक)
वास्तुविद् नियोजक

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सूचनार्थ प्रेषित ।

वास्तुविद् नियोजक